सिंधिया और रोमानिया के मेयर के बीच हुई तीखी नोंकझोंक

रोमानिया के मेयर ने कहा, ''इन बच्चों को खाना-पीना सब हम दे रहे हैं, इधर-उधर की बात मत करो..सीधा ये बताओ की इन्हें लेकर कब जाओगे''

- दरअसल उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया के एक शहर में ठहराए गए भारतीय बच्चों से मिलने पहुंचे थे। जब वे सरकार के प्रयासों को लेकर छात्रों से बात कर रहे थे तभी सिटी के मेयर ने तल्ख़ लहजे में उन्हें टोक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
- वीडियो में दिख रहा है कि, रोमानिया के मेयर की बातों पर सिंधिया थोड़ा असहज होते हैं और एक तरह से चिढ़कर कहते हैं कि, ''मैं क्या बोलूंगा यह मैं तय करूंगा''?

बुखारेस्ट, 3 मार्च। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए रोमानिया पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रोमानिया के मेयर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिंधिया और रोमानिया के मेयर के बीच भारतीय छात्रों को लेकर कुछ बात बातचीत होती दिख रही है। बातचीत के दौरान रोमानिया के मेयर और सिंधिया के बीच थोड़ी गर्मागर्मी दिख रही हैं। हालांकि सिंधिया बातचीत के दौरान रोमानिया प्रशासन की ओर से भारतीय छात्रों को लेकर की गई मदद के लिए शुक्रिया कहते दिख रहे हैं।

बताया जा रहा है कि, सिंधिया रोमानिया के एक शहर में ठहराए गए भारतीय बच्चों से मिलने पहुंचे थे। जब वे सरकार के प्रयासों को लेकर छात्रों से बात कर रहे थे तभी सिटी के मेयर तल्ख़ लहजे में उन्हें टोक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रोमानिया के मेयर कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी बात कीजिए। वीडियो में दिखता है कि इस पर सिंधिया थोड़ा असहज होते हैं और एक तरह से चिढ़कर कहते हैं कि मैं क्या बोलूंगा यह मैं तय करूंगा? मेयर फिर से उन्हें करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि आप अपनी बात कीजिए, हम इन बच्चों के रहने और खाने का प्रबंध कर रहे हैं, आप नहीं। आप इन्हें ये बताईये कि घर कब ले जा रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि मेयर की बात पर वहां बैठे छात्र ताली बजाकर उनका समर्थन करते हैं। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि इस बात की पुर्णत: पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो शत प्रतिशत सही है अथवा नहीं।

रोमानिया के मेयर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तू तू-मैं मैं के इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कई नेताओं ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि जुमला भारत में काम करता है लेकिन विदेश की धरती पर नहीं। देखिए राहत शिविर में रोमानिया मेयर ने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पाठ पढ़ाया, कहा कि आप कब यहां से जाओगे। राहत शिविर में जगह और खाना में हम दे रहे हैं, आप नहीं।

न्यूज़ीलैण्ड में वैक्सिनेशन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। न्यूजीलैण्ड में संसद के सामने सैन्टर ऑफ वैलिंगटन पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने पिछले तीन हफ्तों से भी अधिक समय से कब्जा जमा रखा है। ये लोग देश की वैक्सीन अनिवार्यताओं के विरूद्ध एक लड़ाई में जानी-मानी हस्तियों को कठोर धमकियां दे रहे हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि पुलिस ने इस सप्ताह इन लोगों के विरूद्ध आक्रामक कार्रवाई शुरू की। उनके टैन्ट, टॉयलैट, एक रसोई व कैम्प के अन्य सामान नष्ट कर दिया गए, तथा उनसे वहां से चले जाने का अनुरोध किया गया। अन्तत: अधिकांश लोग चले गए किन्तु बिना लड़े नहीं।

इसमें कुछेक बार तो खूनी संघर्ष भी हुए। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने

- वैक्सिनाइज़ेशन के विरोध में आयोजित प्रदर्शन हिंसक भी हुआ।

आग बुझाने के यंत्र, रंग से भरी फेंकने योग्य वस्तुएं, घर की बनी प्लाईवुड शील्ड्स और कांटेदार पंजे अपने हाथों में उठा लिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर पत्थर बरसाए। अन्य लोगों ने गैस से चल रही आग में पत्थर फेंके, जिनमें वह घटना भी शामिल है, जब ऐसा करने से खेल के मैदान में विस्फोट हो गया।

करीब 60 लोग गिरफ्तार किए गए और तीन अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया।

लगता है कि वैश्विक महामारी को लेकर देश के अति प्रतिबंधित रूप ने न्यूजीलैण्ड के लोगों के एक छोटे समूह को अलग-अलग कर दिया है और वैक्सीन अनिवार्यताओं का पालन करने से इंकार किए जाने के कारण इनमें में कईयों के पास रोजगार नहीं है।

रूस ने कहा, नाटो और यूक्रेन ने ही हमें युद्ध के लिए उकसाया

रूस ने यह भी कहा कि, हमारी यूक्रेन के साथ कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें हर हाल में पूरी होनी चाहिये

- रूस ने कहा है कि, हम चाहें नाटो हो या यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देश, हर पक्ष के साथ यूक्रेन के मसले पर बातचीत करने को तैयार हैं।

मॉस्को, 3 मार्च (वार्ता/स्पूतनिक)। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को यूक्रेन में संघर्ष के मुद्दे पर समाधान की उम्मीद जताई और कहा कि दोनों पक्षों के बीच सुलह को लेकर जल्द ही बातचीत हो सकती है।लावरोव ने संवाददाताओं से कहा , बेशक, हम कोई उपाय ढूंढ़ लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी कुछ मामूली शर्तें हैं, जिनसे सभी वाकिफ हैं। इन पर यूक्रेनी पक्ष के साथ बात की जाएगी, जो इस वक्त गोमेल में है। इसलिए आज ही बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट पर पश्चिमी देशों में जो गलतफहमियां हैं, वे भी समय के साथ दूर हो जाएंगी।

उन्होंने कहा कि रूस डी-एस्केलेशन की खातिर एस्केलेशन के सिद्धांत पर अपनी नीति नहीं बनाता है, जबकि नाटो देश और यूक्रेन ही परमाणु युद्ध की संभावनाओं के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम डी-एस्केलेशन की खातिर एस्केलेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, जैसा कि पश्चिमी देशों का हम पर आरोप है। परमाणु युद्ध को लेकर भी बातें कही जा रही हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा कि दिए गए बयानों पर बारीकी से गौर फरमाएं और उन पर भी जो इन्हें कह रहे हैं।

लावरोव ने कहा कि रूस अब भी पश्चिमी देशों और नाटो के साथ बात करने के लिए तैयार है और यह किसी न किसी वक्त जरूर होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यूक्रेन के मसले पर जो कुछ भी किया जा रहा है, वह सही है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद दुनियाभर के देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र आम सभा की ओर से दी गयी प्रतिक्रियाओं को हास्यास्पद बताया है।

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने गुरूवार को यू-ट्यूब पर लाइव शो सोलोवयोव पर कहा कि ब्रिटेन,अमेरिका, और संयुक्त राष्ट्र ने जो प्रतिबंध लगाये हैं वह निरर्थक हैं। यह सभी हास्यादस्पद हैं, निरर्थक हैं और बेतुके हैं। ये सभी देश इस तरह के बेतुके प्रतिबंध और लगायेंगे।

वाहन बीमा प्रमाण-पत्र में मोबाइल नंबर जरूरी

नई दिल्ली, 3 मार्च (वार्ता)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए बीमा प्रमाण-पत्र में मोबाइल नंबर को अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-एमएसीटी द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों से निर्धारित समय सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट -डीएआर और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए 25 फरवरी को अधिसूचना जारी की है। सरकार का यह भी कहना है कि, ऐसे मामलों का समय पर निपटान किया जा सके और इस संबंध में पीड़ित पक्ष से बराबर संपर्क बना रहे इसके लिए बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना अनिवार्य किया गया है।

होली पर मुंबई-जोधपुर के बीच चलेंगी दो नई ट्रेन

- रेलवे ने होली के त्यौहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मुंबई-जोधपुर के बीच दो विशेष रेलगाड़ियां चालने का फैसला किया है।

जोधपुर, 3 मार्च (कासं)। रेलवे की तरफ से होली के त्योहार पर रेलगाड़ियों में पैसेंजर की भीड़ को देखते हुए मुंबई से जयपुर और जोधपुर के लिए दो विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन मुंबई से होते हुए गुजरात विभिन्न शहरों से होकर राजस्थान आएगी। इन ट्रेनों का संचालन 16 से 18 मार्च के बीच होगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने जारी शेड्यूल के मुताबिक गाडी संख्या 09039 मुम्बई सैंट्रल से 16 मार्च को रात 11:55 बजे जयपुर के लिए चलेगी। जो अगले दिन देर शाम 7.25 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी जयपुर से 17 मार्च को रात 9.15 बजे मुंबई के बोरीवली के लिए चलेगी। जो अगले दिन दोपहर 3.10 बजे पहुंचेगी। ये ट्रेन फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबूरोड, पालनपुर, मेहसाना, अहमदाबाद, वड़ोदरा, भरूच, सूरत, वापी होते हुए सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4 बजे जोधपुर के भगत की कोठी पहुंचेगी। वहीं, वापसी में ये ट्रेन 17 मार्च को भगत की कोठी से सुबह 11. 40 बजे मुंबई के लिए चलेगी और 18 मार्च को सुबह सुबह 4.15 बजे बोरीवली पहुंचेगी। ये ट्रेन लूनी, समदड़ी, मोकलसार, जालोर, मोदरान, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, भीलड़ी, पाटन, मेहसाना, अहमदाबाद, आनन्द, वडोदरा, सूरत, वापी होकर स्टेशनों पर रूकेगी।

फिटनेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर बाईं तरफ लगाया जायेगा। यह अनिवार्यता सभी चौपहिया वाहनों, ऑटो-रिक्शों, ई-रिक्शों, ई-कार्ट तथा क्वाड्रीसाइकिल के लिये भी लागू होगी। अगर वाहन में विंड-स्क्रीन नहीं है तो यह उस वाहन के सहज रूप से नजर आने वाले हिस्से पर लगाया जायेगा। जहाँ तक मोटर-साइकिल या अन्य दुपहिया वाहनों का प्रश्न है, इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर लगाया जायेगा। ये प्रस्ताव सैन्ट्रल मोटर विहिकल्स रूल्स के तहत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में जोड़ दिये गये हैं। 28 फरवरी को प्रकाशित हो चुकी इस गजट अधिसूचना में 30 दिन के अंदर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये हैं।

सात दिनों में यूक्रेन के 10 लाख शरणार्थी दूसरे देशों की शरण में

- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि, ये वही 10 लाख लोग हैं जो बंदूकें तान कर रुस के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी बंदूकें अब शांत होने का समय आ गया है।

संयुक्त राष्ट्र, 3 मार्च (वार्ता)। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि रूसी आक्रमण के बीच केवल एक सप्ताह में दस लाख लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गये हैं।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा, हमने केवल सात दिन में यूक्रेन से पड़ोसी देशों में दस लाख शरणार्थियों का पलायन देखा है। यूक्रेन में रह रहे कई लाखों लोगों के लिए बंदूकों के शांत होने का समय आ गया है, ताकि उन्हें जीवन रक्षक मानवीय सहायता प्रदान की जा सके।

द कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार, इस बीच, कैनेडा ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र के 10 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें दो ऊर्जा कंपनियों, रोसनेफ्ट और गजप्रोम से संबंधित लोग शामिल हैं।

यूक्रेन में रूसी आक्रमण के आठवें दिन गुरुवार सुबह कीव में चार विस्फोट हुए। अखबार के मुताबिक, मध्य कीव में दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई।

'मणिपुर सरकार ने उग्रवादी संगठनों को बांटे 17 करोड़ रू.'

नई दिल्ली, 3 मार्च (वार्ता)। कांग्रेस के मणिपुर के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्तारूढ दल ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर कुछ उग्रवादी संगठनों को करीब 17 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। रमेश ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए बताया कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा मणिपुर की भाजपा नीत सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उग्रवादी संगठनों को शांति बनाए रखने के नाम पर विधानसभा के चुनाव कार्यक्रमों की तारीखों की घोषणा होने के बाद यह रिश्वत दी जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक चौंकाने वाले खुलासे में मणिपुर सरकार ने एक फरवरी को यह राशि बांटी गई है।

पायलट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नवगठित ''किसान एग्रो इंड्स्ट्रीज डवलपमैन्ट बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी हाईकमान व सचिन पायलट ने जो दायित्व सौंपा है, उसका निर्वहन मैं निष्ठापूर्वक करुंगी।''

''मुझे उपाध्यक्ष के रूप पार्टी हाईकमान एवं सचिन पायलट ने मुझे जनसेवा करने का जो राजस्थान सरकार में दायित्व सौंपा है उसका मैं ईमानदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी, हमारी सोच है कि बाज़ार पर किसान का अपना नियंत्रण स्थापित हो।''

राजनीतिक नियुक्तियों के बाद सदस्य बनाए जाने से नाराज पायलट कैंप के नेता एवं पूर्व प्रदेश सचिव राजेश चौधरी और सुशील आसोपा अपने इस्तीफे दे चुके है, तो घनश्याम मेहर पद स्वीकारने से मना कर चुके हैं। इन नेताओं के पायलट का आभार जताने से स्पष्ट हो गया कि इन्हें जिन कमेटियों, बोर्ड या निगमों में सदस्य बनाया गया है वह उस सदस्यता को अपने अनुरूप मानकर स्वीकार कर चुके हैं।

2 जी स्कैम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानी चाहिए। बैंच की ओर से जस्टिस डॉ. धनंजय वाय. चन्द्रचूड़ ने 71 पृष्ठों में लिखे एक फैसले में कम्पनी को घपले में शामिल व उसकी लाभार्थी मानते हुए उसे कानूनी सहायता देने से इंकार कर दिया। फैसले में कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर शीर्ष अदालत पहले ही इस तरह का निर्णय कर चुकी है।

वर्ष 2012 के निर्णय का स्मरण करते हुए बैंच ने टिप्पणी की कि कम्पनी की डिपार्टमैंट ऑफ टेलीकॉम (डी.ओ.टी.) के अधिकारियों के साथ ''फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व'' नीति के आपराधिक घोटाले में मिलीभगत थी। इस नीति का उद्देश्य जनता के धन की कीमत पर निजी बोलीदाताओं के एक ग्रुप का फेवर करना था। कम्पनी ने तर्क प्रस्तुत किया था कि वर्ष 2012 के निर्णय में उसे किसी गलत आचरण का दोषी नहीं माना गया था। इस पर बैंच ने कहा कि यह साफ तौर पर गलत है। उसने कहा कि 2 जी स्पैक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया को मनमाना व संवैधानिक रूप से कमजोर पाया गया था क्योंकि एक खुली एवं पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया को अपीलार्थी सहित कुछ चुनिंदा बोलीदाताओं को गैरकानूनी लाभ देने के लिए एक अन्य प्रक्रिया में बदला गया।

कोर्ट ने कहा कि स्पेशल सी.बी.आई. जज द्वारा दोषमुक्त किए जाने पर विश्वास करते हुए इन निष्कर्षों को अनावश्यक बताए जाने की कोशिश की गई। चूंकि पर कहीं बताया गया था कि कम्पनी एस्सार ग्रुप द्वारा नियंत्रित है, इसलिए प्रश्न यह रह गया कि क्या कम्पनी ने डी.ओ.टी. से धोखाधड़ी की है अथवा नहीं। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन द्वारा केस को सिद्ध नहीं किए जा सकने के कारण कम्पनी के प्रमोटर्स को इन आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त किए जाने से फैसले के निष्कर्ष समाप्त नहीं होते।

सुप्रीम कोर्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भवनों एवं दफ्तरों में घुस जाते हैं, लोगों पर हमला बोलते हैं तथा कागज-पत्रों को फाड़ देते हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में नोटिस लगा रखे हैं जिनमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे बंदरों को खाने-पीने की चीजें नहीं दें।

'मैं पुतिन को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकता हूँ?'' किन्तु इसके साथ ही, वे अपरान्ह काल में इसकी सुनवाई के लिये सहमत हो गये। सी.जे.आई. ने कहा, ''मैंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखे हैं, जिनमें कहा गया है कि सी.जे.आई. क्या कर रहे हैं। हमें उनसे सहानुभूति तो है, लेकिन अदालत कर क्या सकती हैं।'' पी.आई.एल. के पक्ष में प्रस्तुत वकील ने जब यह कहा, ''लोग रोमानिया की सीमा पर जमे जा रहे हैं। उनका ध्यान रखा जाना चाहिये'', तो सी.जे.आई. बोले, ''कौन ध्यान रखे? सरकार पहले ही सक्रिय है। हम ए.जी. से कहेंगे कि वे वस्तुस्थिति की जानकारी लें।'' बाद में, उन्होंने अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल से मदद माँगते हुये कहा कि वे रोमानिया सीमा के पास फँसे हुये मैडिकल छात्रों को निकालने के मामले में अपने पद का उपयोग करे। वकील ने बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना तथा हिमा कोहली भी शामिल हैं, को बताया, ''हवाई जहाज पोलैंड तथा हंगरी से संचालित हो रहे हैं, रोमानिया से नही। विद्यार्थी, जिनमें बहुत सी लड़कियाँ भी शामिल हैं, सुविधा विहीन स्थिति में वहाँ फंसे हुये हैं।

पेंशन का टेंशन बताया राज्य बजट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फण्ड के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर रही।

लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) को छोड़कर पुरानी डी.पी.बी.एस. स्कीम को पुन: अपनाने का विवेकहीन राजकोषीय और गैर जिम्मेदाराना वित्तीय भार झेलने का निर्णय लिया है। एन.पी.एस. को छोड़कर पुराने डी.पी.बी.एस. को अपनाया, ऐसा लगता है कि यह कोई लोकलुभावन राजनैतिक निर्णय है। अगले साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2004 के बाद के राज्य कर्मचारियों को खुश कर उनका वोट प्राप्त करने की एक लोकलुभावन योजना है। इसके अलावा भी अन्य कई कारण है।

राजस्थान सरकार पर राजकोषीय दबाव हमेशा बना रहता है। पेंशन के तहत अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के अलावा नए कर्मचारियों के एन.पी.एस. में भुगतान का दबाव राज्य सरकार पर आता रहता है और हर वर्ष यह राशि बढ़ती ही जाती है। वर्तमान में राज्य के पेंशन धारियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या पांच लाख साठ हजार है और नई नौकरियों के कारण यह संख्या प्रत्येक वर्ष 30,000 कर्मचारियों के रूप में वर्ष 2030 तक बढ़ती जाएगी। एन.पी.एस. के अन्तर्गत वर्तमान में 5.60 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। इन कर्मचारियों के पेंशन फण्ड की राशि का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या हर साल 30,000 बढ़ती जाएगी। यह 30,000 की संख्या तो उस स्थिति में है, जब केवल अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का स्थान भरने के लिए नियुक्तियाँ की जाएगीं।

राज्य सरकार 23,000 करोड़ वर्तमान वित्त वर्ष में पेंशन के तहत खर्च कर चुकी है और इसी वित्त वर्ष में नई पेंशन स्कीम के तहत 29,000 करोड़ अलग से भुगतान कर चुकी है। यह वित्तीय भार हर वर्ष 2030 तक 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

इस प्रकार पुरानी पेंशन योजना को अपनाकर राज्य सरकार आगे आने वाली पीढ़ी के लिए निरन्तर बढ़ने वाली देनदारियों का सामान इकट्ठा कर चुकी है। राज्य सरकार अपने वर्तमान के राजकोषीय दबाव को स्थगित कर आगे आने वाले वाली पीढ़ी के लिए वित्तीय बोझ ढोने का भी इंतजाम कर चुकी है। बेहतर होता कि वर्तमान राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार वित्त आयोग के पास जाकर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त राजकोषीय घाटे की सीमा की माँग करती। आश्चर्य की बात है कि वित्त आयोग ने राज्यों की वित्तीय कठिनाईयों पर अभी तक विचार ही नहीं किया है।

एन.पी.एस. के लाभार्थियों की भी अपनी चिन्ताएं हैं। ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें एन.पी.एस. की सुविधा है यह पता नहीं कि अवकाश प्राप्त करने पर उन्हे कितनी राशि बतौर पेंशन मिला करेगी। इसका कारण है कि एन.पी.एस. के अन्तर्गत जिस कोष में यह पैसा जमा होता है उसका उपयोग बाजार में निवेश के रूप में होता है और ऐसे निवेश को बाजार के उलटफेर से होने वाले लाभ-हानि को झेलना पड़ता है।

कर्मचारियों की सबसे बड़ी भय और शंका उनके कोष का निवेश बाजार में करने के कारण हो रहा है। बाजार के रूख पर सब कुछ निर्भर है। एन.पी.एस. के अन्तर्गत लाभार्थियों को नौ प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है जो इ.पी.एफ.ओ., पी.पी.एफ. या फिक्स डिपॉज़िट से अधिक है।

पेंशन फण्ड की अधिकांश निवेश सरकारी बाण्डों पर किया जाता है जो सुरक्षित है और इसके अन्तर्गत बाजार में गिरावट के बावजूद जमा राशि को सुरक्षित रखता है। लेकिन बाजार के उपर चढ़ने पर जो फायदा मिलता है उसका लाभ पेंशनधारी को नहीं नहीं मिलता। लेकिन डी.पी.बी.एस. के अन्तर्गत सबसे बड़ा लाभ यह है कि मँहगाई दर बढ़ने के साथ ही मँहगाई भत्ते के रूप में पेंशन राशि में भी समय-समय पर वृद्धि होती रहती है।

एन.पी.एस. के अन्तर्गत कर्मचारियों को वह लाभ सुलभ नहीं हो पाता जो मृत्यु की अवस्था में पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत मृतक कर्मचारियों को मिला करता था। इसके लिए ग्रुप इंश्योरेन्स कर एन.पी.एस. के अन्तर्गत कर्मचारियों को पृथक से लाभान्वित किया जा सकता है। राज्य सरकार 29,400 करोड़ के घाटे में है जिसका मतलब है कि ऋण राशि की ब्याज चुकाने के लिए भी उसे ऋण लेना पड़ता है। यह स्थिति 2035 तक चलेगी ही चलेगी। लेकिन वर्ष 2035 के बाद राज्य सरकार को पेंशन की देनदारियों की सुनामी झेलनी पड़ेगी जब एन.पी.एस. के लाभार्थियों को राज्य सरकार को पेंशन भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार यह भुगतान कैसे करेगी। टैक्स से कितना पैसा आएगा, अभी बाड़मेर के तेल भण्डारों से रॉयल्टी आती है। लेकिन तब तक तो बाड़मेर के तेल के कुँए भी सूख जाएगें।

वर्तमान में राज्य सरकार 23 हजार करोड़ रू. पेंशन के तहत और 60,293 करोड़ रू. वेतन के मद में खर्च करती है। यह कर और गैर-कर मद से खर्च किया जाता है। इस प्रकार 10 लाख परिवार 56 प्रतिशत राज्य का राजस्व खा जाते हैं।

राज्य सरकार ने अगले वर्ष चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों को जो उपहार दिया है उसका बोझ अगले कई वर्षों तक नई पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908